न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या — 4/2015

बउनवान

श्री दयाराम वर्मा, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार एंव उर्वरक निरीक्षक उपखण्ड छबड़ा (बारां)
(प्रार्थी)

बनाम

गजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हजारीलाल जाति गोयल निवासी छीपाबड़ौद, (बारां) **(अप्रार्थी)**

परिवाद धारा अन्तर्गत अपराधः—आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत

उपस्थिति :— 1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अप्रार्थी)**

निर्णय दिनांक 06.04.2022

प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मैं दयाराम वर्मा सहायक निदेशक कृषि विस्तार छबडा के पद पर कार्यरत हूँ तथा लोक सेवक हूँ। मेरे पद को राजस्थान राज्य पद पर 22 अक्टूबर 2010 से श्रीमान उपशासन सचिव कृषि द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक निरीक्षक की शक्तियॉ प्रदान की है। मेरा कार्य क्षैत्र तहसील छबडा, छीपाबड़ौद, अटरू का सम्पूर्ण क्षैत्र है। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की परिपालना मे दिनांक 18.11.2014 को उर्वरक निरीक्षक की हैसियत से उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद के द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देश एवं उनको कृषकों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दीगोदखालसा हरनावदाशाहजी रोड़ पर गोदाम मे अवैध खाद उर्वरक के होने के निरीक्षण हेतु गया।

निरीक्षण के दोरान कृषि [illegible] श्री जमनालाल मीना सहायक कृषि अधिकारी, सारथल, श्री प्रमोद कुमार गौत्तम स[illegible]क कृषि अधिकारी छीपाबड़ौद एवं श्री बाबूलाल नागर कृषि पर्यवेक्षक दीगोदखालसा [illegible] छीपाबड़ौद पहुंचकर कृषि विभाग के कर्मचारियों को साथ लेकर [illegible] रोड दीगोदखालसा में [illegible] गोदाम पर गया तथा गोदाम के मालिक श्री छीतरलाल से उ[illegible]क गोदाम में भरा [illegible] के बारे में जानकारी ली गई जिसमें ज्ञात हुआ कि उक्त गोदाम किराये पर श्री गजेन्द्र सिंह गोयल पुत्र श्री हजारीलाल को दे रखा है। मौके पर श्री गजेन्द्र सिंह गोयल नि. छीपाबड़ौद को बुलाया गया तथा मौके पर उपस्थित कर्मचारियों के समक्ष ताला खोलकर देखा गया गोदाम में उत्तम ब्रान्ड एस.एस.पी. उर्वरक के 320 बेग 50 किलोग्राम मे तथा उत्तम वीर यूरिया उर्वरक के 160

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

बेग 50 किलोग्राम में पाये गये। श्री गजेन्द्र सिंह गोयल से पूछताछ करने पर अवगत कराया कि उपरोक्त उर्वरक के कुल 480 बेग हरनावदाशाहजी खाद विक्रेताओं डीलरों के है जो मेरे ट्रक से गड़ेपान (कोटा) से लेकर आये थे। तथा हरनावदाशाहजी डीलरों द्वारा उतारने से मना करने पर मैने अपने गोदाम में रख लिये थे। श्री गजेन्द्र सिंह गोयल निवासी छीपाबड़ौद से उर्वरक विक्रय का लाईसेन्स एवं गोदाम लाईसेन्स के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा लाईसेन्स नहीं होना बताया और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया।

इस संबंध मे उर्वरक अनुज्ञाधिकारी एवं उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, बारां को जानकारी देकर अवगत करवाया, जिनके द्वारा दूरभाष पर दिये गये निर्देशानुसार उर्वरक का पंचनामा तैयार कर व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड छीपाबड़ौद के सुपुर्द कर दिया जावें। प्राप्त निर्देशानुसार साथ में उपस्थित कर्मचारियों के साथ गोदाम में मौजूद मिनी ट्रक मे मौजूद उत्तम ब्रान्ड एस.एस.पी. उर्वरक के 320 बेग 50 किलोग्राम मे तथा उत्तम वीर यूरिया उर्वरक के 160 बेग 50 किलोग्राम में इस तरह कुल 480 बेग व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लि0 छीपाबड़ौद को सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली गई। प्रति रसीद संलग्न है। सम्बन्धित श्री गजेन्द्र कुमार गोयल के खिलाफ थाना छीपाबड़ौद में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 बिना लाईसेंस के उर्वरक का बेचान एवं आई.पी.सी. की धारा 420 के तहत जांच हेतु प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। अतः परिवाद विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) के तहत कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रार्थनापत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब नोटिस जर्ये अभिभाषक इस आशय का पेश हुआ कि उत्तरदाता गजेन्द्र गोयल अग्रवाल मोटर्स छीपाबड़ौद के नाम से ट्रान्सपोर्ट का व्यवसाय करता है। हरनावदाशाहजी के दो डीलरों का खाद 320 बेग एस.एस.पी. एवं 160 बेग यूरिया श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा से उत्तरदाता की अग्रवाल मोटर्स पर ट्रक नंबर आर.जे. 20 जी.ए. 2325 से आया जिसे बिल्टी से हरनावदाशाहजी डीलरों के पास भिजवाये हरनावदा के दोनों डीलरों ने खाद अपनी सुपुर्दगी में लेने से साफ इन्कार कर बिल्टी की पुश्त पर लिखकर दे दिया। ट्रक ऑनर ने गड़ेपान के टेण्डर वाले श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा को हरनावदा शाहजी के डीलरों द्वारा खाद को अपनी सुपुर्दगी में लेने से मना करने की जरिये फोन सूचना दी जिस पर श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन ने कहा कि गड़ेपान फैक्ट्री से जो खाद आया है वही भिजवाया गया है जिसे डीलरों को [illegible] लेकिन हरनावदा के डीलरों ने खाद को सुपुर्दगी में लेने से मना कर दिया। खाद से भरा ट्रक [illegible] से वापस छीपाबड़ौद मंगवा लिया। ट्रक छीपाबड़ौद में खड़ा [illegible] के कई किसान एकत्रित हो गये और जबरन ट्रक से खाद उतारने पर आमादा हुए। इस पर ट्रक के खाद को सुरक्षित रखवा दिया। जप्त किया गया उक्त खाद श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा के भौतिक आधिपत्य में था उक्त खाद से अप्रार्थी को कोई लेना देना नहीं है।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अभिभाषक के कथन पर बिल की जांच व सत्यापन हेतु चम्बल फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल लि0 गड़ेपान से प्रतिनिधि को तलब किया गया। चम्बल फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल लि0 गड़ेपान के प्रतिनिधि ने लिखित कथन किया कि ''Due to some circumstance, material was not unloaded by the SSP operator's at Harnavda Shahji and the truck driver had unloaded the material at Chhipabarod in the godown his own as communicated by our transporter M/S Shriadinath Corporation to ensure the Safety of material.''

श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन जी–8 उत्तम चौराहा न्यू ग्रेन मण्डी डी.सी.एम. रोड़, कोटा प्रो. इन्दु जैन पत्नि श्री ज्ञानचन्द जैन जाति महाजन निवासी ए–777 इन्द्र विहार कोटा जर्ये मुख्तार ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री बजरंगलाल जैन जाति जैन महाजन निवासी ए–777 इन्द्र विहार कोटा जिला कोटा (राज.) ने जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन चम्बल फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड गड़ेपान के उर्वरक के ट्रांसपोर्ट हेतु अधिकृत है। चम्बल फर्टिलाईजर्स गड़ेपान का 8 मेट्रिक टन उत्तम वीर यूरिया और 16 मेट्रिक टन सुपर फास्फेट खाद को इन्वॉइस चालान नं. 291015111691 बेच नं. पीजी–548 दिनांक 16.11.2014 को जर्ये चालान एवं बिल्टी छीपाबड़ौद के लिये की अग्रवाल मोटर्स के ट्रक नं. आर.जे.20 जी.ए.2325 से खाद हरनावदाशाहजी के डीलरों को पहुंचाया। 320 व 160 कट्टे खाद श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन के भौतिक आधिपत्य में थे। श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन द्वारा हरनावदा शाहजी के डीलर द्वारा भेजे गये खाद की डिलेवरी लेने हेतु ट्रक मालिक से मना कर दिये जाने पर ट्रक मालिक द्वारा ट्रक में भरा खाद अपने स्तर पर छीपाबड़ौद में उतरवा दिया था, जिसे विभाग द्वारा जब्त कर सहकारी समिति छीपाबड़ौद को सुपुर्द कर दिया। खाद से सुपर फास्फेट का सेम्पल लिया गया जो प्रयोगशाला द्वारा मानक घोषित किया गया। उक्त जब्तशुदा 480 कट्टे खाद को ट्रांसपोर्ट कम्पनी के भौतिक आधिपत्य से जब्त किया गया है। उक्त खाद को ट्रांसपोर्ट कम्पनी डीलर एवं चम्बल फर्टिलाईजर गड़ेपान को वापस लौटाने हेतु दायित्वाधीन है। अतः निवेदन है कि जब्त किया गया 480 कट्टा खाद ट्रांसपोर्ट कम्पनी श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

तत्पश्चात प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया। दौराने बहस प्रार्थी प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। हमने एकपक्षीय बहस विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी को सुना। दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने श्री गजेन्द्र कुमार गोयल द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस एवं प्रार्थना पत्र श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी श्री गजेन्द्र गोयल का खाद से कोई लेना देना नहीं है वह मात्र ट्रक ऑनर है जिसकी भूमिका मात्र अग्रवाल मोटर्स के ट्रक से चम्बल फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल लि0 गड़ेपान द्वारा अधिकृत ट्रांसपोर्टर श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा के भौतिक आधिपत्य की खाद हरनावदाशाहजी के एस.एस.पी. ऑपरेटर्स को पहुंचाना मात्र थी। एस.एस.पी. ऑपरेटर्स द्वारा खाद की डिलीवरी लेने से मना करने पर उसने उक्त खाद को सुरक्षित अपने स्तर से अपने गोदाम में रखा था जिसे दौराने जांच जब्त किया गया। उक्त खाद श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा के भौतिक आधिपत्य में था जिसे वितरक अथवा चम्बल फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल लि0 गड़ेपान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

संभलना श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा का दायित्व था। अतः उक्त खाद श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अप्रार्थी पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। प्रार्थी ने दिनांक 18.11.2014 को दीगोदखालसा हरनावदाशाहजी रोड़ पर गोदाम में अवैध खाद उर्वरक होने की सूचना पर निरीक्षण किया था, उक्त गोदाम मे उत्तम ब्रान्ड एस.एस.पी. उर्वरक के 320 बेग 50 किलोग्राम मे तथा उत्तम वीर यूरिया उर्वरक के 160 बेग 50 किलोग्राम में पाये गये। अप्रार्थी से पूछताछ में उसने बताया कि उर्वरक के कुल 480 बेग हरनावदाशाहजी खाद विक्रेताओं डीलरों के है जो मेरे ट्रक से गड़ेपान (कोटा) से लेकर आये थे। तथा हरनावदाशाहजी डीलरों द्वारा उतारने से मना करने पर मैने अपने गोदाम में रख लिये थे। श्री गजेन्द्र सिंह गोयल निवासी छीपाबड़ौद से उर्वरक विक्रय का लाईसेन्स एवं गोदाम लाईसेन्स के बारे में जानकारी करने पर उनके द्वारा लाईसेन्स नहीं होना बताया और कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इस पर उक्त उर्वरक जब्त किया जाकर व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड छीपाबड़ौद की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उक्त उर्वरक के परिवहन में अनियमितता होना स्पष्ट है, यदि उक्त उर्वरक एस.एस.पी. ऑपरेटर्स हरनावदा शाहजी का था तो चम्बल फर्टिलाईजर्स एडं केमिकल लिमिटेड गड़ेपान एवं श्री आदिनाथ कॉर्पोरेशन कोटा द्वारा उक्त एस.एस.पी. ऑपरेटर्स को उर्वरक संभालने हेतु विभाग के माध्यम से पाबंद करवाना चाहिये था।

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा उत्तम ब्रान्ड एस.एस.पी. उर्वरक के 320 बेग 50 किलोग्राम मे तथा उत्तम वीर यूरिया उर्वरक के 160 बेग 50 किलोग्राम कुल 480 बेग उर्वरक मय बारदाना को राजसात किया जाता है। उप निदेशक, कृषि विस्तार, बारां को आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा उर्वरक को विभागीय नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय को निर्धारित विभागीय मद में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.04.20 12:05:55 IST
Reason: SelfAttested